(7)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–44/2019 769 /पटना, दिनांक–25/02/2019

प्रेषक,

विनय कुमार, भा0प्र0से0
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लंम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित 06 पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि रुपयें के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	प्रमण्डल	प्रखंड	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिक मरम्मति का राशि 10% (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिहारशरीफ	रहुई	गैवी मोड़ से पेसौर भाया उतरनामा, सुकेमानपुर, धरमसिंह दिगहा तक पथ	8.950	247.2950	83.00300	24.72950	355.02750
2	बिहारशरीफ	बिन्द	एस0एच0–78 से झाना होते निरपुर चतरपुर	2.300	65.95700	17.21500	6.59570	89.76770
3	राजगीर	कतरीसराय	सुन्दरपुर शिव मंदिर से कतरीसराय	0.950	22.14800	9.64600	2.21480	34.00880
4	~~राजगीर~~	~~कतरीसराय~~	एस0एच0–71 ~~कतरीसराय मोड़ से~~ कतरीडीह वाया भागवानपुर	~~2.850~~	~~93.06500~~	~~29.22600~~	~~9.30650~~	~~131.59750~~
5	राजगीर	राजगीर	झुनीकिया बाबा मंदिर से चक्रपुर	1.800	55.10500	18.48700	5.51050	79.1025

25/2/19

6	राजगीर	कतरीसराय	कतौना लोहराजपुर पथ से गंगापुर, पलटपुरा मिडिल स्कूल तक	0.950	55.16100	9.93000	5.51610	70.60710
	कुल			**17.800**	**538.73100**	**167.50700**	**53.87310**	**760.11110**

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्तर से MBD आधारित ई–निविदा आमंत्रित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–44/2019 के पृ0–01–03/टि0 पर दिनांक 21.02.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 22.02.2019 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–44/2019 के पृ0–06/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जायगी।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.202017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–44/2019 के पृ0– /टि0 पर दिनांक– को प्राप्त है। (5)

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)

सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–44/2019 769 /पटना, दिनांक–25/02/2019

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–44/2019 769 /पटना, दिनांक–25/02/2019

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव